

स्थानान्तरणीय कर्मचारियों और रक्षा कार्मिकों की श्रेणी से संबंधित आवेदकों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकार ने "प्रति वर्ष 100 केन्द्रीय विद्यालय" खोलने की संकल्पना का परित्याग कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विभाग मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप सचिवी (कुमारी शैलजा) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार सामान्यतया प्रत्येक कक्षा की प्रवेश क्षमता 35 विद्यार्थी है ।

(ख) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में आवेदकों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । सामान्यतया आवेदकों की संख्या उपलब्ध स्थानों की संख्या की अपेक्षा अधिक रही है । अतिरिक्त सेक्शन खोलने के अलावा, वर्ष 1993 से 98 तक की अवधि के दौरान, जब भी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों, तब सरकार ने सिविल/रक्षा क्षेत्र में 20 तक स्कूल प्रति वर्ष तथा परियोजना क्षेत्र में जितने उपयुक्त पाये जाये उतने स्कूल खोलने का निर्णय लिया है ।

#### Statement

Statement of grants received from the Ministry of Human Resource Development and expenditure during the years

(Rs. in crores)

Year	Grant received from Min. HRD	Internal receipt	Total	Expenditure Govt. financed K Vs/ Offices
1	2	3	4	5
1977-78	14.62	2.57	17.15	17.34
1978-79	16.62	2.82	19.44	19.09
1979-80	17.92	0.89	18.81	17.61

#### Bringing KVS under Plan Budget

6628. SHRI SHIV CHARAN SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 4097 given in the Rajya Sabha on 28th April, 1995 and state:

(a) what has been the annual expenditure and grants made and received from the Union Government since its foundation by Kendriya Vidyalaya Sangathan;

(b) whether Government considering the proposal to bring Kendriya Vidyalayas under PLAN budget on the analogy of Navodaya Vidyalayas; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) The annual expenditure and grant made and received from the Union Government by Kendriya Vidyalaya Sangathan since 1977-78 is indicated in the Statement. (See below).

(b) and (c) Yes, Sir. For 1995-96 an amount of Rs. 10.5 crores has been proposed under Plan Budget for KVS.

I	2	3	4	5
1980-81 . . . . .	18.23	1.77	20.03	19.08
1981-82 . . . . .	20.86	1.47	22.33	23.83
1982-83 . . . . .	29.61	1.50	31.11	28.77
1983-84 . . . . .	38.64	2.76	41.40	38.08
1984-85 . . . . .	44.14	3.01	47.15	45.72
1985-86 . . . . .	51.95	4.09	56.04	54.60
1986-87 . . . . .	79.30	4.83	84.13	78.49
1987-88 . . . . .	86.07	6.95	93.02	89.93
1988-89 . . . . .	108.88	4.33	113.21	114.04
1989-90 . . . . .	120.02	6.74	126.76	127.98
1990-91 . . . . .	138.85	8.59	147.44	138.96
1991-92 . . . . .	158.01	6.09	164.10	155.50
1992-93 . . . . .	165.55	6.47	172.02	166.89
1993-94 . . . . .	186.46	6.51	192.97	198.64
1994-95 . . . . .	185.46	*—	—	—
			1367.08	1334.55

\*Not compiled

#### GVR Sports School

6629. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the G. V. Raje Sports School, Kerala has requested for any aid, if so, the details thereof;

(b) whether SAI has recognised the GVR sports school as a training institute; and

(c) if not, whether Government se to direct the SAI to assist the GVR sports school in developing the talented athletes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS) (SHRI MUKUL WASNIK): (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Does not arise.

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना ।

6630. श्री कैलाश नारायण सारंग :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) विगत वर्षों के दौरान संगठन के मुख्यालय में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को दी गई विभिन्न पदोन्नतियों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या पदोन्नति में आरक्षण की उक्त व्यवस्था अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों के संबंध में भी लागू की गई है; और